



थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 125 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर नाजायज बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द पाठक की टीम द्वारा दिनांक -05.08.2022 को दौराने चैकिंग हनुमान मंदिर से करीब 30-35 कदम की दूरी पर ख्वाजा पार्क की तरफ चौकी रामपार्क से एक नफर अभियुक्त शम्भू पुत्र राजेश प्रसाद निवासी कासिम विहार फेस 2, थाना ट्रोनिका सिटी, जनपद गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष, जिसके कब्जे से 125 ग्राम अल्प्राजोलम नाजायज पाउडर बरामद होना।

नाम पता अभियुक्त

शम्भू पुत्र राजेश प्रसाद निवासी कासिम विहार फेस 2, थाना ट्रोनिका सिटी, जनपद गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0-415/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
2. मु0अ0स0-662/21 धारा-60/63 एक्स0 एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं दिल्ली से सस्ते दामों में अल्प्राजोलम पाउडर खरीदकर यूपी/एनसीआर क्षेत्र में सस्ते दामों बेचकर अपने शौक पूरे करता हूँ।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 कृष्ण कुमार
2. का0 विपिन
3. का0 मनवीर

बरामदगी का विवरण-

1. 125 ग्राम नाजायज नशीला अल्प्राजोलम पाउडर बरामद।

थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा ई-रिक्शा चोरी करने वाले गैंग का खुलासा, 06 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की हुई 15 अदद ई रिक्शा बरामद।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद श्री मुनिराज जी. आईपीएस के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम के दिशा निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सिहानीगेट श्रीमति आलोक दूबे के कुशल पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी श्री नरेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 260/2022 धारा 380/457 भादवि व मु0अ0सं0 274/2022 धारा 328/379 भादवि में रवाना होकर जरिये मुखविर खास से सूचना मिलना कि पुराना बस अड्डा व मैट्रो स्टेशन नया बस अड्डा तथा गाजियाबाद में ई रिक्शा वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर ई रिक्शा चोरी / लूट कर ले जाने वाले अपराधियों के एक गैंग ने इस समय कस्बा बिलारी जनपद मुरादाबाद में अपना ठिकाना बना रखा है जिनके पास जनपद गाजियाबाद व एनसीआर क्षेत्र से चोरी व लूटे गये काफी मात्रा में ई रिक्शा मौजूद है सूचना प्राप्त होने पर उच्चाधिकारीगणों को अवगत कराने के पश्चात थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा कस्बा बिलारी जिला मुरादाबाद पहुंचकर तलाश / चैकिंग से अभि0गण (1) नफीस पुत्र अब्दुल शकूर नि0 मौहल्ला अब्दुल्ला बाडा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद (2) मौ0 गुलफाम पुत्र निसार हुसैन नि0 मौहल्ला अब्दुल्ला बाडा कस्बा व थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद (3) सफीक पुत्र हनीफ नि0 फतेहउल्ला सराय

थाना नखासा सम्भल हाल राजा का सहसपुर नूरानी मस्जिद थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद (4) मौ0 अहसान पुत्र मौ0 इमरान नि0 राजा का सहसपुर नूरानी मस्जिद के पास थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद,(5) मौ0 साजिद पुत्र मौ0 आलम नि0 नूरानी मस्जिद के पास राजा का सहसपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद (6) मौ0 आसिफ पुत्र मौ0 आलम नि0 नूरानी मस्जिद के पास राजा का सहसपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गांधी मूर्ति चौराहा व रिजवान का गोदाम राजा का सहसपुर बिलारी जनपद मुरादाबाद को समय 17.30 से 18.15 बजे मय 15 अदद ई रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया।

अपराध का तरीका:-

एक संगठित गिरोह बनाकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ई रिक्शा चालको को नशीला पदार्थ पिलाकर ई रिक्शा चोरी करके ले जाते है तथा बिलारी की पार्किंग / गोदाम में छिपाकर खडा कर देते हैं पार्किंग/गोदाम अभि0गण रिजवान, जाकिर ने किराये पर ले रखा है तथा यही पर ही चार्जिंग की भी व्यवस्था बना रखते हैं, अभि0गण अकबर तथा रिजवान ग्राहक की तलाश करते हैं और सही दाम मिलने पर चोरी के ई रिक्शा बेच देते है तथा मिले रूपयो को आपस में बराबर बराबर बांट लेते है, अच्छी कंडीशन वाले ई रिक्शा कुछ दिन तक दो तीन सौ रूपये प्रतिदिन के भाडे में किराये पर चलवाते है कभी कभी खुद भी चला लेते है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- 1.मु0अ0सं0 457/22 धारा 379/328 भादवि थाना सिहानीगेट जिला गाजियाबाद
- 2.मु0अ0सं0 460/2022 धारा 411/414/482 भादवि थाना सिहानीगेट जिला गाजियाबाद
- 3.मु0अ0सं0 738/22 धारा 379 भादवि थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद
- 4.ई एफआईआर0 41453/19 धारा 379 भादवि ई थैफ्ट दिल्ली

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- (1) नफीस पुत्र अब्दुल शकूर नि0 मौहल्ला अब्दुल्ला बाडा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
- (2) मौ0 गुलफाम पुत्र निसार हुसैन नि0 मौहल्ला अब्दुल्ला बाडा कस्बा व थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
- (3) सफीक पुत्र हनीफ नि0 फतेहउल्ला सराय थाना नखासा सम्भल हाल राजा का सहसपुर नूरानी मस्जिद थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
- (4) मौ0 अहसान पुत्र मौ0 इमरान नि0 राजा का सहसपुर नूरानी मस्जिद के पास थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
- (5) मौ0 साजिद पुत्र मौ0 आलम नि0 नूरानी मस्जिद के पास राजा का सहसपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
- (6) मौ0 आसिफ पुत्र मौ0 आलम नि0 नूरानी मस्जिद के पास राजा का सहसपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

फरार अभियुक्तगण

- (1) अकबर पुत्र जमीर अली नि0 नूरियो सराय कस्बा व थाना सम्भल जिला सम्भल
- (2) मौ0 शफीक पुत्र मौ0 हबीब नि0 म0न0 ई 45 न्यू सीलमपुर दिल्ली
- (3) रिजवान पुत्र मौ0 इमरान नि0 नूरानी मस्जिद के पास राजा का सहसपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
- (04) जाकिर पुत्र चौधरी वहीद नि0 नई बस्ती राजा का सहसपुर थाना बिलारी जनपद गाजियाबाद

बरामदगी-

15 अदद चोरी की ई रिक्शा

विवरण:- (1) नफीस से बरामद ई रिक्शा नीला रंग चैचिस न0 M3ZBEVETUCFQQ1328

(2) अभि0 गुलफाम से बरामद ई रिक्सा बाज रंग नीला चैचिस न0 M8CBZ0919RD001320 वास्तविक रजिस्ट्रेशन न0 DL 11 EA 0766

(3) अभि0 सफीक से बरामद ई रिक्शा लाल रंग चैचिस न0 MD9DACSH21M544215 वास्तविक रजिस्ट्रेशन न0 UP 23AT 2944

अभि0गण मौ0 अहसान, मौ0 साजिद व मौ0 आसिफ से बरामदशुदा ई रिक्शा

(4) ई रिक्शा रंग लाल चेचिस न0 M6TABRRABGU772253 वास्तविक रजिस्ट्रेशन न0 UP 14 KT 6679 संबंधित अ0सं0 738/22 धारा 379 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद

(5) ई रिक्शा रंग लाल चेचिस न0 M38SEAPB228030777

(6) ई रिक्शा रंग नीला चेचिस न0 M3JMMUYXZRHL3069

(7) ई रिक्शा रंग लाल चेचिस न0 MO3ALHRJ19L001263

(8) ई रिक्सा रंग लाल चेचिस न0 मिटा हुआ है।

(9) ई रिक्शा रंग नीला चेचिस न0 मिटा हुआ है।

(10) ई रिक्शा रंग नीला चेचिस न0 MSVAEADL21B001075

(11) ई रिक्शा रंग हरा चेचिस न0 मिटा हुआ है।

(12) ई रिक्सा रंग नीला चेचिस न0 मिटा हुआ है ।

(13) ई रिक्शा रंग लाल चेचिस न0 मिटा हुआ है ।

(14) ई रिक्शा रंग सफेद चेचिस न0 मिटा हुआ है।

(15) ई रिक्सा रंग लाल चेचिस न0 मिटा हुआ है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री नरेश कुमार शर्मा थाना सिहानीगेट गा0बाद
2. उ0नि0 श्री विपिन कुमार
3. उ0नि0 श्री जाहिद खान
4. उ0नि0 श्री लाल बाबू मिश्रा
5. उ0नि0 श्री शरणवीर
6. उ0नि0 श्री मनीष कुमार
7. है0का0 705 राजेन्द्र राठी
8. का0 1546 रोहित कुमार
9. का0 276 विनित कुमार
10. का0 934 रामकिशोर
- 11.का0 2755 सुमित कुमार

मसूरी पुलिस द्वारा सट्टे की खाई-बाडी करते हुए सट्टा पर्चा, पाकेट डायरी,पैन व 560 रुपये सहित 01 नफर शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक:- 06.08.22

कार्यवाही:- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद-गाजियाबाद श्री मुनिराज द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के पर्यवेक्षण में दि0 06.08.22 को प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र चन्द्र पन्त थाना मसूरी गा0बाद के नेतृत्व में मुखबिर खास की सूचना पर उ0नि0 उमेश कुमार व उनकी टीम द्वारा सट्टे की खाई-बाडी कर अवैध रूप से आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करने वाले वाला शातिर अपराधी **अफजाल पुत्र तौसीफ निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गा0बाद उम्र करीब 34 वर्ष** को अली मस्जिद के पास ग्राम नाहल से सट्टे की खाई-बाडी करते हुए समय करीब 06.55 बजे गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से सट्टा पर्चा, पाकेट डायरी, डाट पैन 560 रुपये बरामद किये गये । जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर मु0अ0सं0 584/22 धारा 13 जी एक्ट बनाम अफजाल उपरोक्त पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

अफजाल पुत्र तौसीफ निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गा0बाद उम्र करीब 34 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

(1) सट्टा पर्चा, पाकेट डायरी, डाट पैन 560 रुपये

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अफजाल -

- 1-मु0अ0सं0-584/22 धारा 13 जी एकट थाना मसूरी
- 2-मु0अ0स0-1137/18 धारा 13 जी एकट थाना मसूरी
- 3-मु0अ0स0-202/19 धारा 13 जी एकट थाना मसूरी
- 4-मु0अ0स0-739/21 धारा 13 जी एकट थाना मसूरी

गिरफ्तारी / पर्यवेक्षण करने वाली टीम -

- (1) उ0नि0 उमेश कुमार
- (2) है0का0 829 अशोक कुमार
- (3) का0 3839 अमित कुमार

थाना मसूरी पुलिस द्वारा गौकशी की घटना का अनावरण करते हुए 03 नफर शातिर गौकश मय 03 अदद नाजायज छूरी के गिरफ्तार

दिनांक:- 06.08.2022

कार्यवाही:- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद श्री मुनिराज द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी सदर श्री आकाश पटेल के पर्यवेक्षण में दिनांक 06.08.2022 को प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र चन्द्र पन्त थाना मसूरी गाजियाबाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब थाना मसूरी पर पंजीकृत मु0अ0स0-579/22 धारा 3/5ख/8 गौवध निवारण अधि0 का अनावरण करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर उ0नि0 श्री भानू प्रकाश, उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह व उनकी टीम द्वारा गौकशी की घटना का अनावरण करते हुए 03 नफर शातिर गौकश 1- रिजवान उर्फ रिजू पुत्र मेहरबान निवासी कुरैशियान मौहल्ला फरीदनगर भोजपुर थाना भोजपुर गा0बाद उम्र करीब 25 वर्ष 2-दानिश पुत्र फतेह निवासी कुरैशियान मौहल्ला फरीदनगर भोजपुर थाना भोजपुर गा0बाद उम्र करीब 24 वर्ष 3-इकरार पुत्र शमसाद निवासी स्टेशन रोड कस्बा न थाना मसूरी गा0बाद उम्र करीब 50 वर्ष को स्टेशन रोड पार्किंग के पास मसूरी से 03 अदद नाजायज छूरी सहित समय करीब 01.30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर 1- मु0अ0स0-581/22 धारा 4/25 ए एकट बनाम रिजवान उर्फ रिजू 2- मु0अ0स0-582/22 धारा 4/25 ए एकट बनाम दानिश 3- मु0अ0स0-583/22 धारा- 4/25 ए एकट बनाम पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण - थाना मसूरी पर पंजीकृत मु0अ0स0-579/22 धारा 3/5ख/8 गौवध निवारण अधि0 बनाम अज्ञात के अनावरण हेतु फरार अभि0 की सर्गर्मी से तलाश की गयी तो दिनांक 06.08.22 को घटना का अनावरण करते हुए उ0नि0 श्री भानू प्रकाश व उनकी टीम द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1- रिजवान उर्फ रिजू पुत्र मेहरबान 2-दानिश पुत्र फतेह 3- इकरार पुत्र शमसाद उपरोक्त को मुखबिर खास की सूचना पर स्टेशन रोड पार्किंग के पास कस्बा व थाना मसूरी के समय करीब 01.30 बजे 03 अदद नाजायज छूरी सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त -

- 1- रिजवान उर्फ रिजू पुत्र मेहरबान निवासी कुरैशियान मौहल्ला फरीदनगर भोजपुर थाना भोजपुर गा0बाद उम्र करीब 25 वर्ष
- 2- दानिश पुत्र फतेह निवासी कुरैशियान मौहल्ला फरीदनगर भोजपुर थाना भोजपुर गा0बाद उम्र करीब 24 वर्ष

3- इकरार पुत्र शमसाद निवासी स्टेशन रोड कस्बा न थाना मसूरी गा0बाद उम्र करीब 50 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

- 03 अदद छूरी नाजायज

अपराधिक इतिहास रिजवान –

- 1-मु0अ0सं0-579/22 धारा 3/5ख/8 गौवध निवारण अधि0 थाना मसूरी गा0बाद ।
- 2-मु0अ0सं0-581/22 धारा 4/25 ए एक्ट थाना मसूरी गा0बाद ।
- 3-मु0अ0सं0-405/2020 धारा 3/5/8 गौवध नि0अधि0 थाना भोजपुर गा0बाद
- 4-मु0अ0सं0-407/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना भोजपुर गा0बाद

अपराधिक इतिहास दानिश –

- 1-मु0अ0सं0-579/22 धारा 3/5ख/8 गौवध निवारण अधि0 थाना मसूरी गा0बाद ।
- 2- मु0अ0सं0-582/22 धारा 4/25 ए एक्ट थाना मसूरी गा0बाद ।

अपराधिक इतिहास इकरार –

- 1-मु0अ0सं0-579/22 धारा 3/5ख/8 गौवध निवारण अधि0 थाना मसूरी गा0बाद
- 2-मु0अ0सं0-583/22 धारा 4/25 ए एक्ट थाना मसूरी गा0बाद ।
- 3-मु0अ0सं0-364/20 धारा 188/269 भादवि थाना मसूरी गा0बाद ।

गिरफ्तारी / पर्यवेक्षण करने वाली टीम –

- (1) उ0नि0 देवेन्द्र कुमार
- (2) उ0नि0 भानू प्रकाश ।
- (3) का0 125 विनय कुमार
- (4) का0 29 योगेन्द्र कुमार
- (5) का0 1427 राहुल कुमार

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार जिसके कब्जे से 2400 अदद नशीली गोलिया Alpralab (ALPRAZOLAM Tablets) नाजायज बरामद ।

दिनांक 6.08.2022

कार्यवाही:- कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 6/08/2022 को सुल्ताने हिन्द मस्जिद के पास शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभियुक्तगण 1. अनीस पुत्र नूर मोहम्मद नि0 म0न0 1225 जनकपुरी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष मय 1230 नशीली गोलिया एल्प्राजोलम तथा 2. अरशद पुत्र नजर अली नि0 साकि का मकान जी 48 जी ब्लाक प्राइमरी पाठशाल द्वितीय के पीछे शहीद नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष मय 1170 नशीली गोलिया एल्प्राजोलम अवैध सहित गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त गण उपरोक्त मे पूछताछ मे बताया कि हम दोनो आपस मे दोस्त है और हम लोग आस पास की जगहों पर नशा करने वाले लोगो को मंहगे दामो पर यह गोलियां बेचकर पैसे कमाते है तथा अपने शौक पूरे कर लेते है । तथा हम इसका सेवन भी करते है। इन दोनो लड़को से नशीली गोलिया रखने का लाईसेंस तलब किया गया तो दिखाने में कासिर रहे जिसके संबंध

मे थाना साहिबाबाद गाजियाबाद पर मु0अ0स0 1232/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम अनीस तथा मु0अस0 1233/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम अरशद पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अनीस पुत्र नूर मोहम्मद नि0 म0न0 1225 जनकपुरी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष
2. अरशद पुत्र नजर अली नि0 साकि का मकान जी 48 जी ब्लाक प्राइमरी पाठशाल द्वितीय के पीछे शहीद नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 1232/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम अनीस

मु0अस0 1233/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम अरशद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 रविशंकर पाण्डेय

है0कां0 1224 मलखान सिंह

का0 1608 सचिन शर्मा

बरामदगी का विवरण

अभियुक्त अनीस के कब्जे से 1230 तथा अभियुक्त अरशद के कब्जे से 1170 गोलिया अवैध अलप्राजोलम बरामद



प्रेस नोट

दिनांक- 6-8-22 थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद।

थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा दिनांक 6-8-22 को थाना क्षेत्र में 02 शातिर अभियुक्तगण को मय 01 किलो गांजा अवैध व 01 अदद चाकू नाजायज के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना नन्दग्राम मुनेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना थाना नन्दग्राम क्षेत्र से 02 शातिर अभि० (1) निजामुद्दीन पुत्र हकीमुद्दीन उम्र 27 वर्ष निवासी त्यागी जी का किराये का मकान गली न० 4 कनस्तर वाली गली हिण्डन विहार थाना नन्दग्राम गाजियाबाद को 01 किला 100 ग्राम गांजा नाजायाज व अभि० (2) मुबारिक अली पुत्र मंजूर हसन उम्र 31 वर्ष निवासी यामीन का किराये का मकान गली न० 4 कनस्तर वाल गली हिण्डन विहार थाना नन्दग्राम गाजियाबाद को एक अदद चाकू नाजायज के साथ पुस्ता रोड हिण्डन विहार के सामने के पास से किया गया गिरफ्तार।

बरामदगी का विवरण:-

- 1 01 किलो 100 ग्राम गांजा नाजायज अभि० निजामुद्दीन
- 2 01 अदद चाकू नाजायज अभि० मुबारिक

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- (1) निजामुद्दीन पुत्र हकीमुद्दीन उम्र 27 वर्ष निवासी त्यागी जी का किराये का मकान गली न० 4 कनस्तर वाली गली हिण्डन विहार थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष।
- (2) मुबारिक अली पुत्र मंजूर हसन उम्र 31 वर्ष निवासी यामीन का किराये का मकान गली न० 4 कनस्तर वाली गली हिण्डन विहार थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष।

अभि०गण का आपराधिक इतिहास:-

- 1 मु०अ०सं० 758/22 धारा 8/20 ndps act बनाम निजामुद्दीन पुत्र हकीमुद्दीन
- 2 मु०अ०सं० 759/22 धारा 4/25 आयुध अधि० बनाम मुबारिक अली पुत्र मंजूर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० श्री मुनेन्द्र सिंह थाना नन्दग्राम
2. उ०नि० श्री सूरजभान सिंह
3. है० का० 444 नरेश कुमार कुमार
4. है०का० 875 विनोद राठी
5. है० का० 1413 नवनीत कुमार
6. का० 2692 कुँवर पाल शर्मा

थाना कविनगर पुलिस द्वारा हर्ष फायरिंग करने वाले अभियुक्तों को मय अवैध असलाह सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा **उपद्रवी एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत** श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा **थाना कविनगर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर वर्थडे पार्टी में हुड़दंग काट रहे व पटाखे छुटा रहे तथा हर्ष फायरिंग कर रहे अभियुक्त** 1. आदिल सैफी पुत्र मरहुम जामिल निवासी जाकिर कालोनी नियर लाल मस्जिद थाना मसूरी गाजियाबाद 2. बिलाल अहमद पुत्र मो0नं0 सलीम राजपूत निवासी ग्राम रसूलपुर सिकरोडा थाना मसूरी गाजियाबाद को दिनांक **05.08.2022** को समय करीब **23.30** बजे विशाल मेगा मार्ट चौकी गोविन्दपुरम थाना कविनगर से मय अवैध असलहे के गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी के आधार पर थाना कविनगर में शस्त्र अधि0 में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1. आदिल सैफी पुत्र मरहुम जामिल निवासी जाकिर कालोनी नियर लाल मस्जिद थाना मसूरी गाजियाबाद
2. बिलाल अहमद पुत्र मो0नं0 सलीम राजपूत निवासी ग्राम रसूलपुर सिकरोडा थाना मसूरी गाजियाबाद

नाम फरार अभियुक्त-

1. शहजाद सैफी पुत्र नामालूम
2. राजा पुत्र ईलियाश
3. दानिश चौधरी
4. मोनू पुत्र खालिद
5. फरीद चौधरी पुत्र जफरयार
6. जमीर चौधरी पुत्र मुनकाद अली
7. आसिफ टेलर पुत्र नामालूम
8. समीर चौधरी पुत्र आफताब
9. दानिश चौधरी पुत्र नमालूम
10. जैद चौधरी पुत्र अकरम अली
11. नाजिम चौधरी पुत्र फकरुद्दीन
12. कैफ चौधरी पुत्र कलाम

बरामदगी-

1. एक नाजायज तमंचा(पोनिया) .315 बोर,
2. 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
3. स्कार्पियो रंग काला रजि0 नं0 UP14EW8865
4. स्विफ्ट रंग सफेद रजि0नं0 UP14CM 0092
5. अपाचे रंग सफेद रजि0नं0 UP37B9687
6. एचएफ डीलक्स बाईक रंग लाल -काला रजि0नं0 UP1437J3048

अभियुक्त आदिल सैफी का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 1024/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद
2. मु0अ0स0 1025/22 धारा 147/148/336 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त बिलाल अहमद का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 1025/22 धारा 147/148/336 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक अमित कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना कविनगर गाजियाबाद
2. उ0नि0 जयवर्धन सिंह, थाना कविनगर गाजियाबाद।
3. का0 3856 विशालदीप, थाना कविनगर गाजियाबाद।
4. का0 3853 सौरभ यादव, थाना कविनगर गाजियाबाद।